जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग।

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अंतर्गत जिला/प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी सूचना।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक 1016 दिनांक 01.03.2016 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अंतर्गत PMU के गठन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

सभी अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नियुक्ति के क्रम में स्थानीयता के संबंध में कार्मिक प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या– 3198 दिनांक 18.04.2016 (देखें– hazaribagh.nic.in) में वर्णित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी यदि चाहें तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कार्यालय हजारीबाग (drdahazaribagh@gmail.com) से अग्रतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

29/7/17

उप विकास आयुक्त,
हजारीबाग।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग।

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अंतर्गत जिला/प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति संबंधी सूचना।

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अंतर्गत PMU के गठन हेतु दिनांक 06.08.2017 को दक्षता जाँच से संबंधी सूचना प्रकाशित की गई थी।

एतद् द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि पूर्व निर्धारित तिथि को दक्षता जाँच परीक्षा अपरिहार्य कारणोवश स्थगित कर दी गई है।

दक्षता जाँच से संबंधी पुनर्निधारित तिथि की सूचना ससमय दी जाएगी।

29/7/17

उप विकास आयुक्त,
हजारीबाग।

परिशिष्ट - IV

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

3158
18-04-2016

संकल्प

विषय : "झारखंड के स्थानीय निवासी" की परिभाषा एवं पहचान।

स्थानीय व्यक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर दो जनहित याचिकाओं डब्ल्यू0पी0(पी0आई0एल0) 4056/2002 एवं 3912/2002 में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंड पीठ द्वारा सुनवाई के बाद दिनांक 27.11.2002 को निरस्त कर दिया गया और "स्थानीय व्यक्ति" को पुनः परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश गठित करने के मामले में सरकार से निर्णय लेने की अपेक्षा की गई।

2. राज्य सरकार द्वारा स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा एवं पहचान के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामजिक संगठनों से गहन विचार विमर्श के पश्चात् सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड का स्थानीय निवासी वैसे भारतीय नागरिक को माना जाएगा जो निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त पूरी करता हो, :-

(i) झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो। भूमिहीन के मामले में उसकी पहचान संबंधित ग्राम सभा द्वारा की जाएगी, जो झारखंड में प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परम्परा पर आधारित होगी।

(ii) किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल सम्पत्ति अर्जित की हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति/संतान हो एवं झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

(iii) झारखंड राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित/ मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मचारी या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

(iv) भारत सरकार का पदाधिकारी/ कर्मचारी जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

(v) झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक (statutory) पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी/ पति/ संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

(vi) ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो एवं झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो।

आदेश : आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

18.5.16

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.– 3198 /राँची, दिनांक 18-05

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को भेजे।

18.5.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.– 3198 /राँची, दिनांक 18-05

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.5.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का.– 3198 /राँची, दिनांक 18-05

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.5.16

सरकार के प्रधान सचिव।